कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1220 /11–सी–FP/UP/TRANS/22022/2016, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 30,2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 झाँसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/29/2017/एफ0सी0/61, दिनाँक–28.06.2017 एवं पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/29/2017/एफ0सी0/441, दिनाँक–27.09.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में वांछित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झॉसी ने अपने पत्रांक–2215/33–1, दिनाँक–26.10.2017 एवं पत्रांक–675/33–1, दिनाँक–08.08.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की मूल प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी– FP/UP/TRANS/22022/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झॉसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झॉसी एवं जालौन स्थान–उरई।
3. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, बाहर दतिया गेट, झांसी।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1434